न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 52/2021 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2021/69

उनवान

1– श्री लालचन्द आत्मज स्व0 कालू जी आयु 57 वर्ष जाति ब्राहाण निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास,जिला कोटा (राज0)

(अपीलाण्ट)

बनाम

1– सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा (राज.)

2– श्रीमती संजनी देवी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद जाति पूर्विया राजपूत निवासी रामचन्द परिया बिहाईण्ड ऑफ स्वीट होम कोलोनी बालिता रोड कुन्हाडी,कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री सम्पूर्णानन्द रॉय (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. सरकार पैरोकार

अपील अ0धारा0 75 एल.आर.एक्ट विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार कनवास

आदेश दिनांक 21.06.2021 शुद्विपत्र 07

निर्णय दिनांकः– 20/11/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम माधोपुर तहसील कनवास,जिला कोटा के स्थाई निासी है जो खेती करके अपपे परिवार का पालन पोषण करते है। अपीलान्ट व मोहनलाल व सत्यनारायण पिसरान स्व0 रधुनाथ जाति ब्राहाण निवासीगण ग्राम माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा के सामलाती खाते कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 196 रकबा 1.90 है0 ख.न. 109 रकबा 0.15 है. ख.न. 110 रकबा 0.43 ख.न. 111 रकबा 0.10 है0 ख.न. 112 रकबा 0.35 है0 ख.न. 113 रकबा 0.66 है0 ख.न. 114 रकबा 0.87 है0 ख.न. 117 रकबा 1.37 है0 ख.न. 279 रकबा 0.04 है0 कुल किता 0 रकबा 5.87 है0 भूमि वाके चक जगदीशपुरा तहसील कनवास में स्थित है उक्त भूमि में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है। मोहनलाल ने अपीलांट को बताये बगैर न्यायालय

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कनवास में एक बटवारे का वाद प्रस्तुत कर धोखे से वाद में राजीनामा लिखवाकर न्यायालय से बटवारे की डिक्री दिनांक 5.01.2015 को प्राप्त कर ली गई। उसके अलावा मोहनलाल ने अपीलान्ट के हिस्से में आई आराजी में से आने जाने के लिए 12 फुट चोडा रास्ता लिया गया। जिसमें रास्ते की आराजी प्रार्थी के खाते के खाते में रहेगी परन्तु आने जाने के लिए उपयोग उपभोग मोहनलाल करेगा। परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा तहसील कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुए डिक्री के विरूद्व जाकर अनुचित तरिके से गलत जगह अपीलान्ट की आराजी में 12 फुट चोडा रास्ता निकाल दिया गया। मोहनलाल ने अपने हिस्से की भूमि रामस्वरूप को एवं रामस्वरूप उक्त भूमि संजनी देवी को क्रय कर दी उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम–2 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त संबध में अपीलांट को जानकारी होने पर सिविल न्यायालय कनवास मे फोजदारी मुकद्मा भी पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपीलान्ट की आराजी के संबध में शुद्वि पत्र नामान्तकरण खोलने का दिनांक 21.6.2021 को आदेश दिया गया जो न्याय पारित सिद्वान्तो के विपरीत व पद का दुर्ययोग करते हुए नामन्तकरण खोला गया है जो विधि विरूद्व व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय तहसीलदार कनवास का आदेश शुद्वि पत्र नामान्तकरण दिनांक 21.6.2021 को अपास्त करते हुए उक्त आदेश के तहत खोला गया शुद्वि पत्र नामान्तकरण संख्या 07 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता माननीय न्यायालय अपीलान्ट के पक्ष में उचित समझे वह भी प्रदान करे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 बावजूद सूचना अपुनस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया किया।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 21.6.2021 नामान्तकरण खोला गया जो विधि विरूद्व व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 21.06.2021 को शुद्वि पत्र नामान्तकरण की कार्यवाही की गई पत्रावली में उपलब्ध कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास के आदेश क्रमांक राजस्व/21/1869 दिनांक 17.06.2021 मे दिये गये निर्देशो की पालना की गई है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अपीलान्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास के आदेश दिनांक 17.06.2021 की अपील संक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी।

अतः न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा की गई कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही मानता है। अतःअपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा